



पंचायतीय राज एवं सत्त विकास

विरेंद्र सिंह ठाकुर¹, प्रकाश कुमार छाटा²

¹ विषय विशेषज्ञ (पेसा), ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान निमोरा, रायपुर, छत्तीसगढ़, भारत।

² संकाय सदस्य जिला पंचायत रायपुर, छत्तीसगढ़, भारत।

प्रस्तावना

सत्त विकास

सत्त विकास संसाधनों का उपयोग करने का एक आदर्श मॉडल है जो यह बताता है कि आर्थिक विकास के साथ-साथ पर्यावरण को भी सुरक्षित करना है। इसका उद्देश्य है:— “वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखते हुए इस प्रकार प्रयोग करना ताकि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो।”

सत्त विकास लक्ष्य

1. गरीबी के सभी रूपों की पूरे विश्व से समाप्ति,
2. भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण और टिकाउ कृषि को बढ़ावा,
3. सभी आयु के लोगों में स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा,
4. समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही सभी को सीखने का अवसर देना,
5. लैंगिक समानता प्राप्त करने के साथ ही महिलाओं और लड़कियों को सशक्त करना,
6. सभी के लिए स्वच्छता और पानी के सत्त प्रबंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना,
7. सस्ती, विश्वसनीय टिकाउ और आधुनिक उर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना,
8. सभी के लिए निरंतर समावेशी और सतत आर्थिक विकास पूर्ण और उत्पादक रोजगार और बेहतर कार्य को बढ़ावा देना,
9. लचीले बुनियादी ढांचे, समावेशी और सत्त औद्योगिकरण को बढ़ावा,
10. देशों के बीच और भीतर असमानता को कम करना,
11. सुरक्षित, लचीले और टिकाउ शहर और मानव बस्तियों का निर्माण,
12. स्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना,
13. जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्यवाही करना,
14. स्थायी सत्त विकास के लिए महासागरों समुद्र और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और उपयोग,
15. सत्त उपयोग को बढ़ावा देने वाले स्थलीय पारिस्थितिकीय प्रणालियों, सुरक्षित जंगलो, भूमि क्षरण और जैव विविधता के बढ़ते नुकसान को रोकने का प्रयास करना,
16. सत्त विकास के लिए शांति पूर्ण और समावेशी समितियों को

बढ़ावा देने के साथ ही सभी स्तरों पर इन्हें प्रभावी, जवाबदेही बनना ताकि सभी के लिए न्याय सुनिश्चित हो सके,

17. सत्त विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समितियों को बढ़ावा देने के साथ ही सभी स्तरों पर इन्हें प्रभावी, जवाबदेही बनना ताकि सभी के लिए न्याय सुनिश्चित हो सके,

“भारत गाँवों में बसता है। और गाँवों के विकास के बिना देश का विकास नहीं हो सकता।”

स्वतंत्रता के बाद के समय में भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय सफलता हासिल की है। कृषि के क्षेत्र में हम एक समय आयात पर निर्भर थे लेकिन अब हम केवल निर्यातक ही नहीं हैं बल्कि विश्व में खाद्यान्न के बड़े दाताओं में से एक हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अंतरिक्ष, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में हमारी अग्रणी भूमिका है। इन सबके बावजूद विश्व स्तर पर अधिक गरीबी हमारे देश में है।

गांव में होने वाली सभी आर्थिक गतिविधियों का घनिष्ठ संबंध ऋतुओं से होता है। हम अपने गांव में इसका अनुभव किया है। कुछ विशेष ऋतुओं में मजदूरों की काफी मांग होती है। कुछ अन्य ऋतुओं में, मजदूरों की मांग नहीं होती है। इसका परिणाम यह होता है। कि ग्रामीण निर्धनों और भूमिहीन मजदूरों को पूरे वर्ष पैसे वाले नियमित काम नहीं मिलता। जिससे अधिकांश समय वे बेरोजगार अथवा अल्प रोजगार रहते हैं। हमारी जनसंख्या में हो रही वृद्धि के कारण स्थिति और भी खराब हो जाती है।

स्थानीय आवश्यकताओं पर आधारित ग्रामीण संरचना (बुनियादी सुविधाओं) को विकसित किया जाना चाहिए। यह भी महसूस किया गया कि ग्राम पंचायतें इन स्थानीय आवश्यकताओं को बेहतर तरीके से पहचान सकती हैं। क्योंकि वे जमीनीस्तर के वास्तविकताओं के निकटतम रहते हैं।

जब तक मौजूदा मानव संसाधनों का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल नहीं किया जाता, गरीबी दूर करना, असमानताओं को कम करना, पोषण के स्तर को सुधारना और उच्च आर्थिक विकास दर को बनाए रखना संभव नहीं है। अतः मानवीय संसाधनों का सद उपयोग शिक्षित अशिक्षित कुशल अकुशल की योग्यता अनुसार आजीविका के साधन हेतु कौशल उन्नयन, प्रशिक्षण एवं रोजगार प्रदान करना है।

प्रतिप्रेक्ष्य योजना का निर्माण

प्रतिप्रेक्ष्य योजना निर्माण का उद्देश्य विकास के स्वीकृत उद्देश्यों के लिए युक्ति-युक्त और सुसंगत अंतर-संबद्ध का समेकित करना है। यह मौजूदा जानकारी और अनुभव के आधार पर तैयार किया

जाता है। परन्तु इसमें आगे दस से पन्द्रह वर्षों के अवधि के बारे में विचार किया जाता है।

संसाधनों की सूची तैयार करना

योजना निर्माण में यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण सोपान है। यदि इसे तर्कसंगत ढंग से किया गया है तो कार्यक्रम का कार्यान्वयन सफलतापूर्वक किया जा सकता है। संसाधनों की सूची तैयार करने में निम्नलिखित तथ्यों को जानना आवश्यक है :-

- प्राकृतिक संसाधन जैसे भूमि, जल, वनस्पति, और मानव तथा जातीय संसाधन,
- कार्यकलाप जैसे कृषि और सम्बद्ध क्षेत्र उद्योग,
- सामाजिक सेवाएं और संस्थागत सुविधाएं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, सफाई और जल आपूर्ति, बैंकिंग आदि, और
- आधारीक संरचना सुविधाएं जैसे सड़क और बिजली

इन सभी मदों के लिए हमें जिस निश्चित सूचना की जरूरत पड़ती है। वे हैं :-

- किश्म
- स्थान या वितरण
- मात्रा/परिणाम/संख्या
- कोटि (गुणवत्ता)
- उपयोगिता का स्तर
- भावी विकास की संभावना
- समस्याएं और कठिनाइयां

पंचायती राज व्यवस्था, ग्राम स्तर पर नियोजन

देश के विकास में ग्रामीण विकास का विशिष्ट महत्व है। इन महत्वों को ध्यान में रखकर ही ग्रामीण विकास के लिए बहुतेरी योजनाओं और कार्यक्रमों का आरंभ किया जा चुका है। कृषि विकास, ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार, जल वितरण, संरचनात्मक विकास, आवास और स्वास्थ्य और शिक्षण क्षेत्रों के लिए कई प्रयास किए जा चुके हैं।

सामाजिक योजनाकारों और सामाजिक शोधकर्ताओं का सार्वभौमिक रूप विचार दिवें कि "स्थानीय समस्याओं का स्थानीय समाधान है" और एक संपूर्ण नीति एक जिले में भी कारगर नहीं हो सकती है। इस विचार धारा के अन्तर्गत निचले स्तर पर नियोजन प्रारंभ हुआ जिसमें स्थानीय सहभागिता को बढ़ाने के लिए महिला मंडली, युवा मंडली, स्व सहायता समुह, तकनीकी कर्मचारी की सहयोजित करना।

पर नियोजित योजनाओं के कार्यान्वित करने के लिए यह आवश्यक है। कि पश्चानुबंधन और अग्रानुबंधन का पालन किया जाना जरूरी है। जो सतत विकास के लिए आवश्यक है। नही तो योजना को प्रभावित करती है। पश्चानुबंधन वे सुविधाएं और आदान है। जो उत्पादन को सुकर बनाते हैं जबकि अग्रानुबंधन वे है जिनकी जरूरत उत्पादन के बाद होती है। इस बात को और स्पष्ट करने के लिए हम कह सकते हैं कि कृषि क्षेत्र के लिए आदान वितरण केन्द्र, सिंचाई सुविधाएं आदि को पश्चानुबंधन कहा जाता है, जबकि विपणन भंडारण सुविधाओं, संसाधन सुविधाओं को अग्रानुबंधन कहा जा सकता है।

ग्राम स्तर योजना के क्षेत्र

73 वें संविधान संशोधन के अनुसार, यहां 29 विषय हैं जो गांव के

सामाजिक आर्थिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को सम्मिलित करते हैं जैसे नागरिक आवश्यकताओं को व्यवस्थित करने, सामाजिक कार्य और साधारक संरचना के नियामक कार्य, ग्राम के आर्थिक संसाधनों की वृद्धि और विकास और कमजोर वर्गों विशेषकर वे परिवार जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, का विकास। वे 29 विषय जो पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित किए गए हैं। उन्हें निम्नांकित सात प्रमुख क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जा सकता है :-

- **कृषि तथा संबंधित कार्यकलाप**
कृषि और प्रसार
भूमि सुधार, भूमि विकास, चकबंदी, मृदा और जल संरक्षण लघु सिंचाई
पशु पालन, दुग्ध-उत्पादन, मुर्गी पालन आदि
मत्स्य पालन
- **वन एवं पर्यावरण**
सामाजिक एवं फार्म वन-क्षेत्र
ईंधन और चारा
गौण वन्य उत्पाद
गैर- पारंपरिक शक्ति संसाधन
- **उद्योग**
लघु उद्योग और खाद्य संसाधन
खादी ग्रामीण एवं कुटिर उद्योग
- **ढांचागत संरचना, न्यूनतम आवश्यकताएं, सामाजिक सेवाएं**
सड़कें, पुलिया, पुल, नौ-घाट आदि
ग्रामीण विद्युतीकरण
पेयजल
ग्रामीण आवास
शिक्षा
तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा
वयस्क और अनौपचारिक शिक्षा
पुस्तकालय
सांस्कृतिक क्रिया-कलाप, उत्सव आदि
स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई आदि
परिवार कल्याण
जन-वितरण व्यवस्था
बाजार और मेले
- **सामाजिक कल्याण**
महिला एवं शिशु कल्याण
सामाजिक कल्याण के साथ-साथ अपाहिज एवं अविकसित मस्तिष्क वाले लोगों का कल्याण
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों का सामाजिक कल्याण
- **गरीबी उन्मूलन**
- **सामुदायिक परिसंपत्ति का व्यवस्थापन**

ग्राम पंचायत को प्राप्त वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करता है। यहां तीन प्रकार के क्रियाकलाप

- पंचायत कार्यालय के व्यवस्थापन के लिए:- जिसमें कार्यालय व्यवस्थापकों का वेतन, कार्यालय की इमारत का व्यवस्थापन, बिजली, पानी, फर्नीचर और अन्य कार्यालय के उपकरण।
- नागरिक सेवा का व्यवस्थापन:- भौगोलिक आधारित संरचना और पंचायत की परिसंपत्ति से संबंधित क्रियाकलाप।

- निवेश के नए आधारिक संरचनाओं के निर्माण और विकासीय क्रियाकलाप जिसमें गरीबी उन्मूलन और सामाजिक कल्याण के कार्य ।

परियोजना निर्माण प्रबंधन कार्य जनप्रतिनिधी एवं अधिकारियों के उचित तकनीकी प्रबंधन एवं कौशल का उन्नयन से संभव किया जा सकता है। प्रशिक्षण के ढंग से यह तकनीकी कौशल प्रबंधन तथा उद्योग संबंधी योग्यता प्रदान करने में काफी सफल होगी है। जो सतत विकास के लक्ष्य के लिए काफी हद तक सहायता ली गई।

संदर्भ

1. ग्राम विकास योजना (IGNOU)
2. स्व एवं मजदूरी रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रम-वर्तमान कार्यनीति (IGNOU)
3. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम-पुर्वावलोकन (IGNOU)
4. <http://www.ssgcp.com>
5. <http://mpenvis.nic.in>